

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

17/06/2021

वादीगण की और वादीगण अधिवक्ता ने अर्थात् पर
 वास्तु पत्रावली प्राप्त ही रख करके वास्तु पत्रावली
 जो वाद खुलवायी स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली
 प्राप्त ही रख करके का अधिकार दिया जाता है। वादीगण
 की और से वादीगण अधिवक्ता ने अर्थात् पर वास्तु
 जरिये राजीनामा होने से वाद खिंचा करने का हुक्म
 कर निकाल दिया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के
 मध्य आपसी कथपत्रावली व लोक सभाओं की शपथ
 से राजीनामा हो गया है तथा वादीगण वाद में
 अधिवक्ता कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वादीगण का
 वाद जरिये खिंचा करने का अधिकार प्राप्त है।
 वादीगण व उपपत्रावली वकील के राजीनामा वास्तु व
 वाद खिंचा करने वास्तु अधिकार पर हस्ताक्षर
 करवाये गये। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य
 राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण वाद में हथियार
 कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः वादीगण का वाद
 संलग्न घात 88/188 RTI अधिनियम का जरिये खिंचा
 खारिज किया जाता है पत्रावली के साथ सुकल होकर
 वर्ष नम्बर से एक होकर वाकिफ करके हो।
 निर्णय प्राप्त दिनांक 17/06/2021 को खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

श्रीम. लाल रजि
 वासी
 24/12/2021
 (New Delhi)
 82
 राजेश रजि
 नगर

सहायक क्लर्क
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 भोपालगढ़ (जोधपुर)